सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023

प्रिलिम्स के लिये:

बौद्धिक संपदा अधिकार, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952, श्याम बेनेगल समिति, IT नियम 2021

मेन्स के लिये:

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में आवश्यक संशोधन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **लोकसभा और राज्यसभा** ने **सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023** पारित किया। यह विधेयक सेंसरशिप से लेकर कॉपीराइट **तक को कवर करने** के लिये कानून के दायरे का विस्तार करता है **और सख्त एंटी-पाइरेसी प्रावधान पेश करता है।**

- इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा **सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952** में संशोधन करना है।

सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 में प्रस्तावित प्रावधान:

- **पायरेसी विरोधी प्रावधान:** इस विधेयक का उद्देश्य अनधिकृत ऑडियो-विज़ुअल रिकॉर्डिंग और कॉपीराइट सामग्री के वितरण में शामिल व्यक्तियों पर **सख्त दंड लगाकर** फिल्मों की पायरेसी को रोकना है। इन प्रावधानों में शामिल हैं:
  - **सज़ा: 3 महीने से 3 वर्ष तक की कैद।**
  - **जुर्माना: 3 लाख रुपए से ऑडिटेड सकल उत्पादन लागत का 5% तक।**
- **कॉपीराइट कवरेज का विस्तार:** इसका उद्देश्य सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 **जो कि मुख्य रूप से सेंसरशिप पर केंद्रित था,** के कवरेज का विस्तार करते हुए **कॉपीराइट सुरक्षा को भी इसके दायरे में लाना है।**
  - यह कदम फिल्म वितरण के उभरते परिदृश्य के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य**फिल्म निर्माताओं** और सामग्री निर्माताओं **के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करना** है।
- **CBFC पर सरकार की सीमित शक्तियाँ:** यह केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की स्वायत्तता पर ज़ोर देता है।
  - **के.एम. शंकरप्पा बनाम भारत संघ (2000)** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर सरकार **CBFC द्वारा लिये गए निर्णयों में संशोधन** नहीं कर सकती है।
- **आयु आधारित रेटिंग (U/A रेटिंग):** संशोधन विधेयक उन फिल्मों के लिये एक नई आयु आधारित रेटिंग प्रणाली प्रस्तुत करता है जिनके लिये अभिभावकों या माता-पिता के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वर्तमान U/A रेटिंग, जो व्यापक आयु सीमा को कवर करती है, को तीन भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा:
  - **U/A 7+:** माता-पिता या अभिभावक के मार्गदर्शन में 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिये उपयुक्त फिल्में।
  - **U/A 13+:** माता-पिता या अभिभावक के मार्गदर्शन में 13 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिये उपयुक्त फिल्में।
  - **U/A 16+**: माता-पिता या अभिभावक के मार्गदर्शन में 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिये उपयुक्त फिल्में।
  - यह नवीन वर्गीकरण प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 और **श्याम बेनेगल समिति** की सिफारिश (2017) के आधार पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिये लागू **श्रेणीबद्ध-आयु वर्गीकरण** के साथ संरेखित है।
- **TV एवं अन्य मीडिया के लिये पुन: प्रमाणन:** वर्ष 2004 के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात् से वयस्क/एडल्ट रेटिंग वाली फिल्मों को टेलीविज़न पर प्रतिबंधित कर दिया गया है।
  - जिसके परिणामस्वरूप प्रसारक स्वेच्छा से फिल्मों में कटौती करते हैं और U/A रेटिंग के लिये CBFC से पुनः प्रमाणीकरण की मांग करते हैं।
    - यह विधेयक इस प्रथा को औपचारिक बनाता है, जिसके तहत **फिल्मों को टेलीविज़न और "अन्य मीडिया" के माध्यम से प्रसारण के लिये पुनः प्रमाणित** किया जा सकेगा।
- **प्रमाणपत्रों की स्थायी वैधता:** इस अधिनियम में संशोधन के माध्यम **CBFC प्रमाणपत्रों की 10 वर्ष की वैधता संबंधी प्रतिबंध को हटाकर** उन्हें स्थायी वैधता प्रदान की जा सकेगी।

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952:

- **सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952** को संसद द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये अधिनियमित किया गया था कि फिल्मों का प्रदर्शन भारतीय समाज की सहनशीलता की सीमा के अनुसार हो।
    - यह फिल्मों को प्रमाणित करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करता है, इसमें **भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता अथवा नैतिकता या मानहानि या न्यायालय की अवमानना जैसे विषय** शामिल हैं।
- इस अधिनियम की **धारा 3 केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (जिसे आमतौर पर सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता है) की स्थापना का प्रावधान** करती है।
    - CBFC **सूचना और प्रसारण मंत्रालय** के तहत एक वैधानिक निकाय है, जो **सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित** करता है।
- यह **बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के लिये एक अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का भी प्रावधान** करता है।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/cinematograph-amendment-bill,-2023